

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (म0प्र0) ::

क्रमांक :- २२७ / एक / ११-१ / ०८-२०२४

सिवनी, दिनांक ०९ / ०५ / २०२४

// संशोधित कार्य विभाजन विविध आदेश //

मैं सतीश चंद्र राय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी, धारा-10(2) सहपठित धारा-381(2), 194, एवं 400 दं०प्र०सं० तथा सिविल कोर्ट अधिनियम 1955 की धारा-15 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन विविध आदेश क्रमांक २०३ / एक / ११-१ / ०८-२०२४ सिवनी दिनांक २० अप्रैल २०२४ के कण्डिका क्र. ०३, ०५ एवं ०६ को विलोपित करते हुए निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ-

क्रं	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	क्रं.	प्रकरणों का प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा
१	२	३	४	५
३.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एवं १९८८, म०प्र० शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक १४.१०.२०१९ (मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम) एवं सदस्य प्रथम अंति० दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी	सत्र खण्ड	१- २- ३- ४- ५- ६-	सत्र खण्ड, सिवनी के अंतर्गत स्थित सभी आरक्षी केन्द्र से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ के अंतर्गत उद्भूत आपराधिक / विशेष प्रकरण जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होगे। मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम २००० के अधीन मामलों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम २००० के अंतर्गत रिमाण्ड एवं धारा ४३८, ४३९, ४३९(२) दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन। म०प्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के अंतर्गत उपार्पित होकर प्राप्त विशेष सत्र प्रकरण। म०प्र० शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय-समय पर स्थानांतरित किये जाने वाले प्रकरण।
५.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना अनुसार बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, हत्या सहित बलात्संग अथवा इनसे जुड़े हुये अन्य अपराधों के त्वरित विचारण के लिये (मुख्यालय सिवनी एवं तहसील कुरई हेतु)	सत्र खण्ड	१-	समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण तथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार अथवा हत्या बलात्कार से जुड़े हुये अपराधों के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन तथा जमानत संबंधी आवेदन पत्र आदि (लखनादौन न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर)।

	एवं सदस्य तृतीय अतिरिा दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी	सिविल तहसील, सिवनी, बरघाट तथा कुरई	2- तहसील सिवनी, बरघाट एवं कुरई के रु0 1,0000001/- (रु0 एक करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि0 1990 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली द्विव्यूनल को प्राप्त है।)
			3- तहसील सिवनी, बरघाट एवं कुरई से उत्पन्न मोटरयान अधि0 1988 की धारा 163-ए, 164, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत उपहति से संबंधित समस्त मुआवजा प्रकरण।
			4- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 की धारा-72 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			5- प्रोवेन्सियल स्माल कॉज कोर्ट्स अधि0 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रु0 500 से अधिक किंतु रु0 1000 मूल्य तक के वाद।
			6- द्वितीय जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों तथा व्यवहार प्रकरणों से उद्भुत होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध प्रकरण, विविध कार्यवाहियों तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही कर, विद्वित सुनवाई एवं निराकरण किया जाना।
			7- प्रथम/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी एवं प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी की न्यायालय द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील।
			8- म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतन न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र, विशेष प्रकरण एवं सिविल प्रकरण।
			9- समय-समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण विविध आवेदन, जमानत आवेदन, मुआवजा एवं अन्य प्रकरण।
6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी एवं विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0) सिवनी तथा प्राधिकृत एवं पीठासीन अधिकारी, विद्युत	सत्र खण्ड, सिवनी के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र (आरक्षी केन्द्र लखनादौन, छपारा, धूमा, घंसौर, धनौरा, किंदरई,	1- स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकरण, जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होने पर (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अधिकारिता में विचारणीय मामलों को छोड़कर)।

<p>अधिनियम, 2003 तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 एवं सदस्य चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सिवनी।</p> <p style="text-align: center;">सिविल तहसील केवलारी</p>	<p>आदेगांव से उत्पन्न मामलों को छोड़कर एवं</p>	<p>2— स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों के रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र।</p> <p>3— जिलान्तर्गत राष्ट्रीय जॉच एजेंसी (NIA) अधिनियम 2008 अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण/रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होगे।</p> <p>4— स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों के रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र।</p> <p>5— अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन को आवंटित क्षेत्र को छोड़कर उत्पन्न होने वाले म0प्र0 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>6— म0प्र0 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत धारा—438, 439, 439(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन (लखनादौन न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर)।</p> <p>7— म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण।</p> <p>8— तहसील केवलारी के रु0 1,0000001/- (रु0 एक करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि0 1990 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली द्विव्यूनल को प्राप्त है।)</p> <p>9— तहसील केवलारी से उत्पन्न मोटरयान अधि0 1988 की धारा 163—ए, 164, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत उपहति से संबंधित समस्त मुआवजा प्रकरण।</p> <p>10— न्यायालय, सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्बिटेशन एवं कन्सिलिएशन एक्ट की धारा—9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>11— न्यायालय, सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्बिट्रेशन एवं कन्सिलिएशन एक्ट की धारा—34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन जिनका मूल्यांकन 50 लाख से कम हो एवं उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण।</p>
---	--	---

12-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार ने संबंधित आर्बिट्रेशन एवं कन्सिलिएशन एल्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले/प्राप्त हुये निष्पादन प्रकरण।		
13-	भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 को धारा-72 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।		
14-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित चैरेटेबल तथा रिलीजियस ट्रस्ट अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।		
15-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित म०प्र० म्यूनिसपल कार्प० अधि० की धारा-307 के अंतर्गत आवेदन पत्र।		
16-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधि० १९५३ के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।		
17-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधि० १९५६ के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।		
18-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित धारा-41 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधि० 2000) के अंतर्गत याचिकायें।		
19-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार ने संबंधित प्रोवेन्सियल इन्साल्वेंसी अधि० 1920 के अंतर्गत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के प्रकरण।		
20-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रोवेन्सियल इन्साल्वेंसी अधि० 1920 के अंतर्गत अपीलें।		
21-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अर्पले, पुनरीक्षण तथा आवेदन पत्र।		
22-	प्रोवेन्सियल स्माल कॉज कोर्ट्स अधे० 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रु० 500 से अधिक किंतु रु० 1000 मूल्य तक के वाद।		
23-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित म०प्र० पब्लिक ट्रस्ट अधि० के उत्तर्गत प्रकरण।		
24-	न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित लोकल फंड्स ऑडिट अधि० 1933 के अंतर्गत आवेदन पत्र।		
25-	द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरेष्ठ खण्ड सिवनी एवं षष्ठम/अतिस्तित्व व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड स्थिवनी तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केवलारी जिला सिवनी की न्यायालय द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्पाय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील।		

			26— समय—समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन, जमानत आवेदन, वाद, मुआवजा प्रकरण एवं अन्य प्रकरण।
			27— द्वितीय जिला न्यायाधीश, सिवनी एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य द्वितीय अतिरिक्त मोटर दावा अधिकरण, सिवनी द्वारा निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों तथा व्यवहार प्रकरणों से उद्भुत होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध प्रकरण, विविध कार्यवाहियों तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही कर, विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण किया जाना।

— यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 08 मई 2024 से प्रभावशील होगा।

— *SJ*
(सतीश चंद्र राय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिवनी (मोप्र०)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (म0प्र०) ::

पृष्ठां० क्रमांक—**1368**/एक/11-१/06-2024

सिवनी, दिनांक **08**/05/2024

प्रतिलिपि :-

- (01) माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति (जिला सिवनी), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- (02) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- (03) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- (04) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्याया०/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट सिवनी
- (05) प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी
- (06) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी
- (07) जिलाध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी
- (08) पुलिस अधीक्षक, सिवनी
- (09) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिवनी/जिला रजिस्ट्रार सिवनी
- (10) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी
- (11) प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग सिवनी
- (12) प्रस्तुतकार सत्र न्यायाधीश, सिवनी
- (13) अध्यक्ष अभिभाषक संघ, सिवनी
- (14) शासकीय अभिभाषक सिवनी।
- (15) प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल—कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी की ओर सूचनार्थ।


08.5.24

(सतीश चंद्र राय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 सिवनी (म0प्र०)